भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1150
दिनांक 08.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अन्य देशों में कार्यरत भारतीय

1150. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सर्वाधिक संख्या में भारतीय कामगारों और उनसे संबंधित उद्योगों के संबंध में शीर्ष पाँच देशों का कोई डेटा रखा है,

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में विदेशों में कार्यरत तमिल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विदेशों में नियोजित तमिल कामगारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या तमिल कामगारों द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेशों में लगभग 15 मिलियन भारतीय नागरिक हैं जिनमें अकुशल कामगार, कुशल कामगार और पेशेवर शामिल हैं । यह मंत्रालय 18 ईसीआर देशों में से किसी देश में ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों के संबंध में आंकड़ों का रखरखाव करता है।

सबसे अधिक भारतीय कामगारों वाले शीर्ष पांच देशों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। मंत्रालय विदेश में मौजूद भारतीयों के उद्योग–वार आंकड़े नहीं रखता है:

क्र. सं.	देश का नाम	भारतीयों की लगभग संख्या लाख में
1	संयुक्त अरब अमीरात	35.54
2	सऊदी अरब	22.19
3	कुवैत	8.29
4	कतर	8.00
5	ओमान	5.30

(ग) 2023 के दौरान तमिलनाडु के कामगारों को जारी की गई उत्प्रवास अनापत्ति का देश–वार विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के पास तमिलनाडु सहित विदेशों में सभी भारतीय कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों की निगरानी और शिकायत निवारण के लिए मजबूत तंत्र है। विदेशों में हमारे मिशन और केंद्र हर समय सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों से प्राप्त प्रत्येक प्रकार की शिकायत पर सक्रिय रूप से नजर रखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। शिकायतें विभिन्न चैनलों यानी आपातकालीन टेलीफोन नंबर, वॉक–इन, ई–मेल, सोशल मीडिया, 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन और ओपन हाउस आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और उनका जवाब दिया जाता है। सरकार ने पीड़ित भारतीय नागरिकों को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए मदद और ई–माइग्रेट जैसे पोर्टल तैयार किए हैं। विदेश में भारतीय कामगारों को सभी मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए दुबई (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। खाड़ी देशों में सभी भारतीय मिशनों में समर्पित श्रमिक विंग मौजूद हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में भारतीय कामगारों से फीडबैक प्राप्त करने और उनकी शिकायतें, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविर आयोजित करते हैं। उत्प्रवासी भारतीय से या उसकी ओर से शिकायत प्राप्त होने पर इसे संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ सक्रिय रूप से उठाया जाता है और यदि आवश्यक हो तो पीड़ित कामगार के कार्यस्थल का भी दौरा किया जाता है। रोजगार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित प्राधिकारी के साथ भी उठाया जाता है।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेश में मुसीबत में फंसे भारतीय नागरिकों को 'माली हालत के आधार' पर वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समय–समय पर भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रमुख सहायता में भोजन और आवास, भारत की हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, भारत में पार्थिव शरीर का परिवहन और मामूली जुर्माने और शास्ति का भुगतान शामिल है।

*****

अनुबंध

तमिलनाडु राज्य के कामगारों के लिए देशवार उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) से संबंधित 2022 से नवंबर 2023 की अवधि के आंकड़ें		
देश	**2022**	**2023**
संयुक्त अरब अमीरात	2269	2986
सऊदी अरब	6888	8225
मलेशिया	3953	7272
कुवैत	5218	2794
ओमान	3001	1808
कतर	1705	1695
बहरीन	456	421
जॉर्डन	50	33
इराक	13	37
लेबनान	3	0
कुल योग	**23556**	**25271**

*****